

# The Code of Civil Procedure (Uttaranchal Amendment) Act, 2005 Act 1 of 2006

Keyword(s): Revision, Material Irregularity, Jurisdiction

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



# सरकारी गजट, उत्तरांचल

# उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

## विघायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क) (उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 16 मार्च, 2006 ई0

फाल्गुन 25, 1927 शक सय्वत्

## उत्तरांचल शासन

विघायी एवं संसदीय कार्य विमाग

संख्या 691/विद्यायी एवं संसदीय कार्य/2006 देहरादून, 16 मार्च, 2006

## अधिसूचना

## विविध

"मारत का संविधान" के अनुब्छेद 201 के अधीन महामहिम राष्ट्रपंति ने उत्तरांचल विधान समा द्वारा पारित सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 को दिनांक 28 फरवरी, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 01, सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :--

सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2005 (उत्तरांचल अधिनियम सं0 01, वर्ष 2006)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का उत्तरांचल में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में और संशोधन करने के लिए—

### अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान समा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2005 है।

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्म

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराचल पर होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

अधिनियम संख्या 5, सन् १९०८ की घारा ११५ का प्रतिस्थापन 2-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है, की घारा 115 के स्थान पर निम्नलिखित घारा रखी जायेगी, अर्थात्-

पुनरीक्षण

- "115(1)—िकसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी मूल वाद या अन्य कार्यवाही में विनिश्चय किसी मामले में, जहां आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है और जहां अधीनस्थ न्यायालय ने—
  - (क) ऐसी अधिकारिता का ग्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है; अथवा
  - (ख) इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है; अथवा
  - (ग) अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से कार्य किया है;

वहां पारित किसी आदेश का पुनरीक्षण उच्चतर न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

- (2) जब उच्च न्यायालय में उपघारा (1) के अधीन कोई पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया जाता है तो ऐसे आवेदन के प्रथम पृष्ठ पर, मामले के शीर्ष के नीचे, इस आशय का एक प्रमाण—पत्र अन्तर्विष्ट होगा कि जिला न्यायालय मामले का पुनरीक्षण नहीं कर सकता है किन्तु केवल उच्च न्यायालय, मूल्यांकन के कारण या पुनरीक्षण के लिए ईप्लित आदेश जिला न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, के कारण, मामले का पुनरीक्षण कर सकता है।
- ्(3) उच्चंतर न्यायालय, इस धारा के अधीन, किसी आदेश को परिवर्तित या उत्तट देगा, सिवाय जहाँ—
  - (एक) आदेश, यदि पुनरीक्षण दायर करने वाले पक्षकार के पक्ष में पारित किया गया हो. वाद अथवा कार्यवाही का अन्तिम रूप से निस्तारण करता हो; या
  - (दो) आदेश, यदि बरकरार रहने की अनुमित दी गयी हो, उस पक्षकार को न्याय की असफलता उत्पन्न होगी अथवा अपूरणीय क्षति कारित होगी, जिसके विरुद्ध एसे पारित किया गया था।
- (4) पुनरीक्षण, न्यायालय क्रे समझ वाद या अन्य कार्यवाही के स्थगन के रूप में प्रवर्तित नहीं होगा, सिवाय जहां ऐसा वाद या अन्य कार्यवाही, उच्चतर न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी जाती है।

स्पष्टीकरण एक,-इस घारा में-

- (एक) पद "उच्चतर न्यायालय" का तात्पर्य-
- (क) जिला न्यायालय से हैं, जहां उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णीत मामले का मूल्यांकन पांच लाख रुपये से अनधिक हो;
- (ख) उच्च न्यायालय से हैं, जहां पुनरीक्षण के लिए ईप्सित आदेश जिला न्यायालय द्वारा पारित किया गया था या किसी मामले में मूल वाद का या अन्य कार्यवाहियों का मूल्यांकन जो कि जिला न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया था, पांच लाख रुपये से अधिक हो।
- (दो) पद ''आदेश'' कें अन्तर्गत किसी मूल वाद में किसी विवाद्यक या अन्य कार्यवाही को विनिश्चित करने वाला आदेश है।

स्पष्टीकरण दो,—इस घारा के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् ऐसे मूल वादों या संस्थित अन्य कार्यवाहियों के प्रारम्भ के पूर्व पारित आदेश पर भी इस घारा के उपबन्ध लागू होंगे।" स्पष्टीकरण तीन,—इस धारा के प्रारम्भ होने के पूर्व, उच्च न्यायालय में दायर किये गये पुनरीक्षणों पर इस घारा के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

आजा से.

यू0 सी0 घ्यानी, सचिव।

No. 691/Vidhayee & Sansadiya Karya/2006 Dated Dehradun, March 16, 2006

## NOTIFICATION Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the President is pleased to order the publication of the following English translation of the Code of Civil Procedure (Uttaranchal Amendment) Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 01; of 2006).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the President on 28.02.2006.

### THE CODE OF CIVIL PROCEDURE (UTTARANCHAL AMENDMENT) ACT, 2005

(UTTARANCHAL ACT No. 01 of 2006)

further to amend the Code of Civil Procedure, 1908 in its application to Uttaranchal.

#### ΑN

### ACT

Be it enacted by the State Assembly of Uttaranchal in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:--

1. (1) This Act may be called the Code of Civil Procedure (Uttaranchal Amendment) Act, 2005;

Short title, Extent and Commencement

- (2) It shall extend to the whole of Uttaranchal.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.
- 2. For section 115 of the Code of Civil Procedure, 1908, hereinafter referred to as the principal Act, the following, section shall be substituted, namely --

"115 (1) A superior court may revise an order passed in a case decided in an original suit or other proceeding by a subordinate court where no appeal lies against the order and where the subordinate court has—

- (a) exercised a jurisdiction not vested in it by law; or
- (b) failed to exercise a jurisdiction so vested; or
- (c) acted in exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity.
- (2) A revision application under sub-section (1), when filed in the High Court, shall contain a certificate on the first page of such application, below the title of the case, to the effect that no revision in the case lies to the district court but lies only to the High Court either becasue of valuation or because the order sought to be revised was passed by the district court.

Substitution of Section 115 of Act no. 5 of 1908 Revision

- (3) The superior court shall not, under this section, vary or reverse any order made except where--
  - (i) the order, if it had been made in favour of the party applying for revision, would have finally disposed of the suit or other proceeding; or
  - (ii) the order, if allowed to stand, would occasion a failure of justice or cause irreparable injury to the party against whom it is made.
- (4) A revision shall not operate as a stay of suit or other proceeding before the court except where such suit or other proceeding is stayed by the superior court.

#### Explanation I,-In this section :-

- (i) the expression 'superior court' means--
- (a) The district court, where the valuation of a case decided by a court subordinate to it does not exceed five lakh rupees;
- (b) the High Court, where the order sought to be revised was passed in a case decided by the district court or where the value of the original suit or other proceedings in a case decided by a court subordinate to the district court exceed five lakh rupees;
- (ii) the expression "order" includes an order deciding an issue in any original suit or other proceedings.
- **Explanation II,—**The provisions of this section shall also be applicable to orders passed, before or after the commencement of this section, in original suits or other proceedings instituted before such commencement."

**Explanation III,—**The provisions of this section shall not be applicable to the revisions already filed in the High Court before the commencement of this section.

By Order,

U. C. DHYANI, Secretary.